



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

एकल पीठ : माननीय न्यायामूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख,

द्वितीय अपील संख्या 420/2006

श्रीमती सरला देवी गुप्ता

विरुद्ध

श्रीमती तारा देवी दुबे

निर्णय

निर्णय हेतु दिनांक 03.07.07 को सूचीबद्ध

सही/-

न्यायाधीश

दिलीप रावसाहेब देशमुख





उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, जे.

द्वितीय अपील संख्या 420/2006

वादी

श्रीमती सरला देवी गुप्ता, उम्र 70 वर्षवर्ष,
श्री रमेश की पत्नी चंद्र गुप्ता, निवासी
सरकण्डा, बिलासपुर, थाना
सरकण्डा, डाकघर, तहसील एवं
जिला बिलासपुर (सी.जी.)
(प्रतिवादी/उत्तरवादी/किरायेदार)

विरुद्ध

श्रीमती. तारा देवी दुबे, उम्र 66 वर्ष
पति स्वर्गीय श्री गौरी की पत्नी शंकर दुबे,
निवासी सरकण्डा, बिलासपुर, थाना सरकण्डा,
डाकघर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)
(वादी/अपीलार्थी/भवनस्वामी)

उत्तरदाता





व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील

उपस्थित: अपीलकर्ता द्वारा श्री सोमनाथ वर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तरदाता द्वारा श्री संजय के. अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता ।

निर्णय

(जुलाई 2007 के तीसरे दिन घोषित)

(1) यह प्रतिवादी की दूसरी अपील है. वह व्यवहार वाद नंबर 39-ए/2002 दिनांक 12-08-2004 में पारित निर्णय और डिक्री को पलटने से व्यथित है, जिसमें अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बिलासपुर द्वारा सिविल अपील संख्या 1-ए/2005 में दिए गए फैसले दिनांक 22-08-2006 द्वारा वादी के बेदखली के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।

(2) यह स्वीकृत है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी वादग्रस्त आवास में किरायेदार है।

(3) उत्तरदाता/वादी ने 15-10-1998 को अपीलकर्ता/प्रतिवादी को वाद परिसर से बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उसने घर-सह-दुकान का एक हिस्सा अपीलकर्ता/प्रतिवादी को 01-04-1997 से किराए पर दे दिया था। यह निवेदन किया गया कि उसे अपने घर के लिए और वास्तविक कारण से भी आवास की आवश्यकता है। वादी को नगर निगम बिलासपुर की सीमा के भीतर कोई अन्य मकान या दुकान उपलब्ध नहीं था । अपीलकर्ता/प्रतिवादी को दिए गए आवास का विवरण वादपत्र की अनुसूची 'ए' में दिखाया गया था। इसमें उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी/प्रतिवादी आवास में "गुप्ता जलपान गृह" चला रही थी

(4) 01-10-2001 को, उत्तरदाता/वादी ने एक आवेदन दायर किया व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न केवल वादपत्र के आरोपों में संशोधन के लिए बल्कि अनुसूची 'ए' में दिए गए आवास के विवरण को भी पूरी तरह से संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया । जबकि, मूल रूप से वादपत्र के साथ दायर अनुसूची 'ए' में आवास-सह-दुकान के रूप में दिखाए गए आवास का क्षेत्र 35 फीट x 30 फीट दिखाया गया था, संशोधित अनुसूची 'ए' में किराये के



रूप में दिए गये आवास का विवरण 18 फीट x 17.6 फीट दिखाया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त आवास का आकार घटाकर आधा कर दिया गया। अनुसूची में आवास को "वाद ग्रस्त दुकान" के रूप में वर्णित किया गया था। कंडिका 1 में, दो स्थानों पर, संशोधन द्वारा, वर्णित आवास को केवल "वादग्रस्त प्रतिष्ठान " के रूप में वर्णित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि संशोधित अनुसूची के अनुसार, केवल उत्तरदाता/वादी के हिस्से में आई थी। कंडिका 1 और 5 में भी आवास को केवल वादग्रस्त प्रतिष्ठान के रूप में वर्णित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ता/प्रतिवादी का पास में ही अपना घर था, इसलिए उसे वादग्रस्त प्रतिष्ठान की आवश्यकता नहीं थी।

(5) अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया की वास्तव में उसने 1972 में प्रतिवादी/वादी के पति गौरी शंकर दुबे से 40/- रुपये प्रति माह के किराए पर जमीन का एक खुला टुकड़ा लिया था और अपने खर्च पर एक कमरा बनाया था। धीरे-धीरे किराया 400/- रुपये प्रति माह तक बढ़ाया गया। अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने आवास को अधिक किराए पर देने के मंशा से ही वाद प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी/वादी के पास लगभग सात अन्य दुकानें थीं और उन्हें वादग्रस्त आवास की आवश्यकता नहीं थी।

(6) विद्वान नवम व्यवहा न्यायाधीश वर्ग-2, बिलासपुर ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि उत्तरदाता/वादी वादग्रस्त दुकान की निवास के रूप में वास्तविक आवश्यकता को सिद्ध करने में विफल रहा है। अपील में, विद्वान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने अधिनस्थ न्यायालय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री . को उलटते हुए 01-10-2001 को वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन के साथ-साथ तर्कों पर न्यायिक बुद्धि का उपयोग किए बिना, छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 (अब से

अधिनियम') की धारा 12 (1) (ड) के अंतर्गत अपीलकर्ता/प्रतिवादी को बेदखल करने का डिक्री दे दिया। यानी निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर।

(7) इस अपील को विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न पर स्वीकार किया गया था: -



'क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 9वें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बिलासपुर द्वारा पारित सिविल वाद क्रमांक 39-ए/2002 में दिनांक 12.8.2004 के निर्णय और आज्ञा को पलटना और मुख्य रूप से निवास के समग्र उद्देश्य के लिए और मकान मालिक के निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, गैर-निवास के लिए किराए पर दिए गए आवास से किरायेदार को निष्कासित करने का अनुतोष प्रदान करना उचित है?"

(8) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आवास मुख्य रूप से गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए दिया गया था। वादी ने विशेष रूप से कथन किये थे कि उसे आवास की आवश्यकता केवल उसके निवास के लिए थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 12(1)(इ) के अंतर्गत अपीलकर्ता/प्रतिवादी - किरायेदार को निष्कासित करने की डिग्री विधि के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। यह भी तर्क किया गया था कि उत्तरदाता/वादी की तर्कों में विशेष रूप से उस उद्देश्य को नहीं दिखाया गया था जिसके लिए वादग्रस्त प्रतिष्ठान को किराए पर दिया गया था, और अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा "गुप्ता जलपान गृह" के रूप में उपयोग किए जा रहे आवास के विवरण और कंडिका 20 में उत्तरदाता/वादी द्वारा किये गये स्वीकारोक्ति से, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रश्न में आवास मुख्य रूप से गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया था। शब्बीर अहमद विरुद्ध शाम लाल और अन्य, एआईआर 2002 एससी 1036, डॉ. गोपाल दास वर्मा विरुद्ध डॉ. एस.के. भारद्वाज

और अन्य, एआईआर 1963 एससी 337 और मिस एस. सान्याल विरुद्ध ज्ञान चंद, एआईआर 1968 एससी 438 पर भरोसा किया गया था।

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया। उन्होंने जगजीत कुमार बनाम जगदीशचंद्र 1982 जेएलजे 319 पर भरोसा जताया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा



यह माना गया था कि संयुक्त किरायेदारी के मामले में यदि मकान मालिक आवास के गैर-आवासीय हिस्से की वास्तविक आवश्यकता साबित करता है, तो आवासीय हिस्से सहित पूरे परिसर से किरायेदार को बेदखल करने का डिक्री पारित किया जा सकता है।

(10) प्रतिद्वंदी की तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है।

(11) अधिनियम की धारा 2 (क) "आवास" को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

2. परिभाषाएँ. - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :

(ए) "आवास" का अर्थ है कोई भवन या उसका कोई भाग भवन, चाहे आवासीय हो या गैर-आवासीय और इसमें शामिल है;

(i) कोई भी भूमि जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है;

(ii) ऐसे भवन या भवन के हिस्से से जुड़े बगीचे, मैदान, गैराज और उपगृह, यदि कोई हों;

(iii) ऐसे भवन के अधिक लाभकारी आनंद के लिए इमारत के किसी प्रकाशन हेतु अनुमोदित 58 हिस्से में लगाई गई कोई भी फिटिंग;

(iv) ऐसे भवन या भवन के किसी हिस्से में उपयोग के लिए गृह स्वामी द्वारा आपूर्ति किया गया कोई "फर्नीचर;"

(12) अधिनियम का अध्याय III किरायेदार की बेदखली के नियंत्रण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 12 वह आधार प्रदान करती है जिस पर किरायेदार के विरुद्ध उसमें उल्लिखित किसी



एक या अधिक आधार पर उसे बेदखल करने के लिए वाद दायर किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (इ) और (प) इस प्रकार हैं:-

“12-अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन”:-

(1) किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विस्त किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, किसी अधिभारि के विरुद्ध, किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिये व्यवहार न्यायालय में कोई निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर ही प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा नहीं, अर्थात् :-

अर्थात्:

(ए) xxxxx xxxxx xxxxx

(बी) xxxxx xxxxx xxxxx

(सी) xxxxx xxxxx xxxxx

(डी) xxxxx xxxxx xxxxx

(इ) यह कि निवास के प्रयोजनों के लिये भाड़े पर दिए स्थान की भू-स्वामी को, अपने स्वमं के लिये या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिये, यदि वह उसका स्वामी है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जिसके कि फायदे के लिये वह स्थान धारित है, निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिये वास्तविक आवश्यकता है और यह कि सम्बन्धित शहर या नगर में ऐसे

व्यक्ति के अधिभोग में अपना स्वमं का युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है

(च) कि “गैर-आवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए आवास की आवश्यकता मकान मालिक द्वारा अपने या अपने किसी वयस्क बेटे या अविवाहित बेटियों के व्यवसाय को जारी रखने या शुरू करने के उद्देश्य से की जाती है, यदि वह उसका मालिक है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लाभ के लिए आवास रखा गया है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास संबंधित शहर या कस्बे में अपने कब्जे में कोई अन्य उचित गैर-आवासीय आवास नहीं है;”



(13) "आवासीय या गैर-आवासीय" के अलावा, "आवास" की परिभाषा में "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" शामिल नहीं है जैसा कि डॉ. गोपाल दास वर्मा विरुद्ध डॉ. एस.के. भारद्वाज और अन्य (पुर्वोक्त) के प्रकरण, जो दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित है, जिसमें धारा 2 (जी) में "परिसर" शब्द की परिभाषा में निवास और वाणिज्य के अलावा "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" भी शामिल है। इसलिए, पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवास किस प्रमुख उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया था। यह ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण कि किराए पर दिए जाने से पहले आवास की प्रकृति कैसी थी यह पूरी तरह से महत्वहीन और जिस उद्देश्य के लिए इसे किराए पर दिया गया था, उस पर केवल ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ड) में आने वाले शब्द "आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर देना" और अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (च) में आने वाले शब्द "गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर देना" इस बात पर कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं करता है कि जिस उद्देश्य के लिए आवास किराए पर दिया गया था, वह अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत भूमि स्वामी के लिए आधार का निर्धारण करेगा। एक आवास, जो एक घर सह-दुकान हो सकता है, केवल निवास के लिए या गैर-निवास के लिए या दोनों के लिए किराए पर दिया जा सकता है। वादी को उस उद्देश्य का विशेष रूप से उल्लेख करना और सिद्ध करना आवश्यक है जिसके लिए आवास किराए पर दिया गया था। वादपत्र में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि आवास अपीलकर्ता/प्रतिवादी को किस

उद्देश्य से किराये पर दिया गया था। मूल रूप से वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'ए' से पता चलता है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी वादग्रस्त आवास में "गुप्ता जलपान गृह" चला रही थी। यह जानना बहुत आश्चर्य की बात है कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय अदालत इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि उत्तरदाता/वादी ने विशेष रूप से कंडिका 1 में अनुरोध किया था कि उसने अपीलकर्ता/प्रतिवादी को घर-सह-दुकान का "एक हिस्सा" किराए पर दे दिया था, लेकिन विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को कौन सा हिस्सा किराए पर दिया गया था, अर्थात्, आवासीय या गैर-आवासीय। यह भी उतना ही आश्चर्यजनक है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि संशोधित तर्कों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विभाजन के बाद आवास का केवल वह हिस्सा जो संशोधित अनुसूची 'ए' में दिखाया गया था, उसके हिस्से में आ गया था; उत्तरदाता/वादी; इस संशोधित भाग का विवरण और आकार मूल



रूप से अनुसूची 'ए' में दिए गए आवास के विवरण से भिन्न है। दोनों निचली अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में भी विफल रहें कि उत्तरदाता/वादी ने वाद में संशोधन करके आवास का विवरण "आवास-सह-दुकान" से बदलकर "वादग्रस्त दुकान" कर दिया था और कंडिका 3 में विशेष रूप से निवेदन किया था कि केवल वादग्रस्त प्रतिष्ठान ही उत्तरदाता/वादी के हिस्से में आई थी। उत्तरदाता/वादी ने अपनी गवाही के कंडिका 20 में कहा था कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी वादग्रस्त आवास में एक होटल चला रही थी। उसकी गवाही कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी भी वादग्रस्त आवास में रह रहा था, को राजेश गुप्ता, डी.डब्ल्यू.-1 और दुर्गा प्रसाद कश्यप, डी.डब्ल्यू.-2 की अखंडित गवाही द्वारा अविश्वसनीय बना दिया गया था। प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, तर्कों से, विशेष रूप से वादी और अनुसूची 'ए' में संशोधन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को दिया गया आवास पूरी तरह से गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए था, अर्थात्, "गुप्ता जलपान गृह" चलाने के लिए था; ऐसा होने पर कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दिए गए आवास को निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तर्कों और संशोधित वाद और अनुसूची मानचित्र को अनदेखा करने में एक महत्वपूर्ण त्रुटि की और अधिनियम की धारा 12 (1) (ड) के अंतर्गत अपीलकर्ता/प्रतिवादी को बेदखल करने की डिक्री देना पूरी तरह से अनुचित था। आक्षेपित निर्णय और डिक्री पूरी तरह से विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(14) यह सत्य है कि एक आवास को आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए भी किराए पर दिया जा सकता है, जैसे कि दो मंजिला भवन के प्रकरण में जहां भूतल को एक दुकान के लिए किराए पर दिया जा सकता है, जबकि पहली मंजिल को निवास के लिए किराए पर दिया जा सकता है। इस स्थिति में अधिनियम की धारा 12 (ड) एवं (च) के अंतर्गत किरायेदार की बेदखली हेतु वादी को यह तर्क देना होगा और सिद्ध करना होगा कि आवास न केवल पहली मंजिल में उसके निवास के लिए बल्कि भूतल में गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए भी आवश्यक है। वर्तमान जैसी एक अलग स्थिति में, जहां घर केवल एक "खपरा पॉश (टाइल वाला आवास)" है और मुख्य रूप से गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया है, अर्थात्, होटल चलाने के लिए, ऐसे मामले में, यदि आवासस्थल का केवल एक छोटा सा हिस्सा किरायेदार द्वारा निवास के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, आवास मुख्य रूप से प्रकृति में गैर-आवासीय है, तो वादी को गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाने और सिद्ध करने की



आवश्यकता होगी। इस तरह की दलील और साक्ष्य पर, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी पूरे परिसर से किरायेदार को बेदखल करने का डिक्री पाने का हकदार हो सकता है, भले ही उसी घर का एक छोटा सा हिस्सा निवास के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके विपरीत, ऐसे मामले में जहां आवासस्थल मुख्य रूप से निवास के उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया है और केवल एक छोटा सा हिस्सा गैर-आवासीय उद्देश्य जैसे पान-दुकान या चाय-दुकान या एक छोटे प्रोविसन(किराना) स्टोर के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो आवासीय उद्देश्य के लिए वास्तविक आवश्यकता की तर्क और साक्ष्य पर वादी, ऐसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, किरायेदार को आवास से बेदखल करने के लिए डिक्री का हकदार हो सकता है, यद्यपि एक छोटा सा हिस्सा गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही विधान है जैसा कि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जगजीत कुमार विरुद्ध जगदीशचंद्र (पुर्वोक्त) प्रकरण में दिया गया है। प्रस्तुत तथ्य, आवास के आकार से संबंधित साक्ष्य मुख्य रूप से एक विशेष उद्देश्य के लिए किराए पर दिए गए थे और जिस उद्देश्य के लिए आवास किराए पर दिया गया था, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्से के आकार पर विचार करना होगा।

(15) प्रतिवादी/वादी के लिए अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया न्याय-दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वाद और अनुसूची 'ए' में संशोधन को दृष्टिगत करने पर, अपीलकर्ता/प्रतिवादी को किराए पर दिया गया आवास और उसके आधिपत्य में एक वादग्रस्त प्रतिष्ठान दिखाई गई थी। अर्थात्, एक गैर-आवासीय आवास, प्रतिवादी/वादी के हिस्से में आ गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जो यह दर्शाता है कि आवास का एक हिस्सा निवास के लिए भी उपयोग किया जा रहा था, यह पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए, उत्तरदाता/वादी के निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ऐसे आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय अदालत पूरी तरह से अनुचित थी और अधिनियम की धारा 12(1)(ड) के अंतर्गत बेदखली का आदेश देने में कानून के विपरीत काम किया।

(16) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर नकारात्मक तथा अपीलकर्ता/प्रतिवादी के पक्ष में और उत्तरदाता/वादी के विरुद्ध दिया जाता है। व्यवहार अपील संख्या 1-ए/2005 में अधिनस्त अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और



डिक्री को रद्द किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

हस्ताक्षर/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: अधिवक्ता, अंकिता श्रीवास्तव.

